खाद्य प्रसंस्करण नीति में बदलाव किसानों को लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खाद्य प्रसंस्करण नीति में कुछ बदलाव किये हैं। इन बदलावों की वजह से अब प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। साथ ही इससे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इन बदलावों के तहत एकीकृत लाइसेंस की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके जरिये एकीकृत लाइसेंसधारी, राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

इस बारे में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नीति में किए गए बदलाव इसलिए भी जरूरी हो गए थे क्योंकि पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, बिहार, झारखंड, गोवा और महाराष्ट्र में प्रसंस्करण इकाइयों को ऐसी खरीद पर मण्डी शुल्क से छूट दी गई है। इसलिए उनकी प्रसंस्करण इकाइयां लाभ में हैं।